रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330]	नई दिल्ली, सोमवार, मई 25, 2015/ज्येष्ठ 4, 1937
No. 330]	NEW DELHI, MONDAY, MAY 25, 2015 /JYAISTHA 4, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2015

सा.का.नि. 417**(अ).—** केंद्रीय औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित प्रारुप नियम भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 25(अ) तारीख 12 जनवरी, 2015 द्वारा 1 से 7 पृष्ठ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, उन पर उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से तीन दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, राजपत्र की प्रतियां जनता को 12 जनवरी, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारुप नियम के संबंध में कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अत: अब केंद्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय)(संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) में, नियम 56क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:

'56क. वार्षिक विवरणियां–(1) प्रत्येक नियोक्ता, प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को या इससे पहले पूर्वगामी वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट विवरणों के अनुसार, सूचना देते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय के वेब पोर्टल पर दिए प्ररूप छ 1 में वार्षिक विवरणियां अपलोड करेगा।

(2) प्रत्येक नियोक्ता, प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को या इससे पहले पूर्वगामी वर्ष की बाबत विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के संबंध में सूचना देते हुए प्ररूप छ 1 में हस्तलिखित वार्षिक विवरणियों को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष कर सकेगा :

परन्तु निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक/संबंधित प्राधिकारी अपेक्षा कि यथास्थिति खाते, बहियां, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज चाहे ये हस्तलिखित या इलैक्ट्रॉनिक रूप में, पेश किए जाएं, आक्षेप कर सकेगा।

स्पष्टीकरण – इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, ''इलैक्ट्रॉनिक रूप'' अभिव्यक्ति का अर्थ वही होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 के खण्ड (द) में समनुदेशित है।

3. मूल नियमों में, प्ररूप छ1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

प्रपत्र – 'छ1'

[नियम 56 (क) देखिए]

एकीकृत वार्षिक विवरणी प्ररुप

क साधारण भाग:

विशिष्टियां:

(क) स्थापन का नाम...

स्थापना का पता। मकान संख्या/फ्लैट संख्या ....गली/प्लाट संख्या...........शहर...............जिला................राज्य..............पिन कोड...............

(ख) नियोक्ता का नाम...

नियोक्ता का पता, मकान सं/.फ्लैट सं ………………...............................गली/प्लाट संख्या..........शहर.............जिला.....................राज्य............पिन कोड................

ई-मेल आईडी.......................दूरभाष सं.................... मोबाइल सं.................

(ग) स्थापना के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व प्रबंधक या व्यक्ति का नाम...

पता, मकान सं/.फ्लैट सं.......................................गली/प्लाट संख्या..........शहर.............जिला.....................राज्य............पिन कोड................

ई-मेल आईडी.......................दूरभाष सं.................... मोबाइल सं......

ख. निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित अधिनियमों के अधीन नियोक्ता का रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति संख्या:

क्र.सं. (1)	नाम (2)	रजिस्ट्रीकरण (3)		यदि हां (रजिस्ट्रीकरण) संख्या (4)
01.	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996			
02.	ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970			
03.	अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979			
04.	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952			
05.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948			
06.	खान अधिनियम, 1952 कोल खान विनियम, 1957 के विनियम के अधीन **अथवा** धात्विक खान विनियम, 1961 के अधीन खोले जाने की नोटिस			
07.	कारखाना अधिनियम, 1948			
08.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961			
09.	दुकान और संस्थापना अधिनियम (राज्य अधिनियम)			
10.	तत्समय पर प्रवृत्त कोई अन्य विधि			

ग. प्रधान नियोक्ता, ठेकेदार और ठेका श्रमिक के ब्यौरे

01.	ठेकेदार की संस्थापना के मामले में प्रधान नियोक्ता का नाम	
02.	संस्थापना के प्रारंभ की तारीख	
03.	वर्ष के दौरान संस्थापना में लिप्त ठेकेदारों की संख्या	
04.	वर्ष के दौरान कुल दिनों की संख्या जिसमें ठेका श्रमिक नियोजित किए गए थे	
05.	वर्ष के दौरान ठेका श्रमिकों द्वारा किए गए श्रमिक दिन की कुल संख्या	
06.	प्रबंधक या अभिकर्त्ता का नाम (खानों के मामले में)	
07.	मकान सं./ फ्लैट सं............................गली/प्लाट संख्या...............शहर.............जिला.....................राज्य............पिन कोड................ ई-मेल आईडी.......................दूरभाष सं..................... .मोबाइल सं............ .	

घ. काम के घंटे तथा साप्ताहिक विश्राम दिन

01.	वर्ष के दौरान कार्य किए गए दिनों की संख्या	
02.	वर्ष के दौरान कार्य किए गए श्रमिक दिनों की संख्या	
03.	दैनिक कार्य घंटे	
04.	साप्ताहिक विश्राम का दिन	

ङ. वर्ष के दौरान किसी दिन में अधिकतम नियोजित व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	पुरुष	स्त्री	किशोर (14 से 18 वर्ष की आयु के बीच)	बालक (14 वर्ष की आयु से नीचे)	कुल

च. मजदूरी दर (प्रवर्गानुसार):

प्रवर्ग	मजदूरी की दर	कर्मकारों की संख्या							
		नियमित				संविदा			
		पुरुष	स्त्री	बालक	किशोर	पुरुष	स्त्री	बालक	किशोर
उच्च कुशल									
कुशल									
अर्ध कुशल									
अकुशल									

छ. (क) **भुगतान के ब्यौरे**

भुगतान किया गया सकल मजदूरी		कटौतियां			भुगतान किया गया शुद्ध मजदूरी	
नकद में	वस्तु रूप में	जुर्माना	क्षति या हानि के लिए कटौतियां	अन्य	नकद में	वस्तु रूप में

(ख) **वर्ष के दौरान** कर्मकारों **की संख्या जिन्हें वेतन सहित छुट्टी प्रदान की गई**

क्र.सं.	वर्ष के दौरान	कर्मकारों की संख्या	मजदूरी सहित प्रदान की गई छुट्टी

ज. कानूनी स्कीमों के अधीन प्रदान की गई विभिन्न कल्याण सुविधाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	प्रदान की गई विभिन्न कल्याण सुविधाओं की प्रकृत्ति	कानूनी (कानून विनिर्दिष्ट करें)

झ. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957:

(1)	यदि कार्य समिति कार्य कर रही है	हां/नहीं
1(क)	उसके गठन की तारीख	
1(ख)	कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या (निर्वाचित सदस्य)	
1(ग)	नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों की संख्या (नामनिर्देशित सदस्य)	
1(घ)	वर्ष के दौरान उनकी तिथियों सहित आयोजित बैठकों की संख्या	
2	यदि कार्य समिति कार्य नहीं है तो उसके गठन या कार्य के समक्ष आ रही कठिनाइयां	
3	स्थापनाओं में संघों की संख्या	

(क) उनमोचित, पदच्युत, छंटनी किए गए कर्मकारों की संख्या अथवा जिनकी वर्ष के दौरान सेवाएं समाप्त कर दी गई थी

कर्मकारों की संख्या	सेवामुक्त	पदच्युत	छंटनी	पर्यवसान या हटाए गए

(ख) वर्ष के दौरान श्रम दिनों की हानि के कारण:

क्र.सं.	कारण	क्षति हुई श्रम दिनों कीसंख्या	धन के निबंधन की हानि
(क)	हड़ताल		
(ख)	तालाबंदी		
(ग)	घातक दुर्घटनाएं		
(घ)	गैर घातक दुर्घटनाएं या खानों में गंभीर दुर्घटनाएं		

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना सत्य और सही हैं तथा मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मेरे स्थापना पर लागू सभी श्रम विधियों के सभी उपबंधों का मैंने अनुपालन किया है।

स्थान...................................तारीख......................................यहां हस्ताक्षर किए गए..

नियोक्ता के अंकीय हस्ताक्षर, यदि कोई हो

तारीख_______________
स्थान_______________

[फा. सं. एस-11012/1/2014-आईआर (पीएल)]
मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्याक का.नि.आ. 770, तारीख 10 मार्च, 1957 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 116, तारीख 3 फरवरी, 1987 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2015

G.S.R. 417(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957 were published as required by sub-section (1) of section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) in the Gazette of India, in Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 12th January, 2015 at pages 1- 7 vide the notification of the Ministry of Labour and Employment No. G.S.R. 25(E) for inviting suggestions from all persons likely to be affected thereby on or before the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And, whereas, copies of the said Gazette was made available to the public on the 12th January, 2015;

And, whereas, the objections or suggestions received from the public on the draft have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 38, read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of the said Section of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, namely:--

1. (1) These rules may be called the Industrial Disputes (Central) (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 56A, the following rule shall be substituted, namely:-

‘56A. Annual Returns.— (1) Every employer shall on or before the 1st day of February in each year upload annual returns in Form G1 on the web portal of the Ministry of Labour and Employment giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year.

(2) Every employer on or before the 1st day of February in each year may file annual returns in the Form G1 to the concerned Authority manually giving information as to the particulars specified in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the Inspector/concerned Authority shall require the production of the accounts, books, register and other documents if the same are maintained in manual form or in electronic form, as the case may be.

Explanation.- For the purpose of this sub-rule, the expression “electronic form” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).’.

(3) In the principal rules, for Form G1, the following Form shall be substituted, namely:-

Form-'G1'

[See rule 56 (A)]

Unified Annual Return Form

A. General Part:

Particulars:

(a) Name of the establishment ____

address of the establishment. House no./Flat No. ____ Street/Plot No. ____ Town ____ District ____ State ____ Pin Code ____

(b) Name of the employer ____

address of the employer. House no./Flat No. ____ Street/Plot No. ____ Town ____ District ____ State ____ Pin Code ____

E-mail ID ____ Telephone Number ____ Mobile Number ____

(c) Name of the manager or person responsible for supervision and control of establishment ____

Address House No./Flat No. ____ Street/Plot No. ____ Town ____ District ____ State ____

Pin Code ____

E-mail ID ____ Telephone Number ____ Mobile Number ____

B. Employer's Registration/ License number under the Acts mentioned in column (2) of the table below:

S.No. (1)	Name (2)	Registration (3)		If yes (Registration No.) (4)
01.	The Building and other Construction Workers (Regulation of Employment & Conditions of Service) Act, 1996.			
02.	The Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970.			
03.	The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1979.			
04.	The Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.			
05.	The Employees' State Insurance Act, 1948.			
06.	The Mines Act, 1952. Notice of opening under Regulation 3 of Coal Mines Regulation, 1957 or Regulation 3 of Metalliferous Mines Regulation, 1961.			
07.	The Factories Act, 1948.			
08.	The Motor Transport Workers Act, 1961.			
09.	The Shops and Establishments Act (State Act).			
10.	Any other Law for the time being in force.			

C. Details of Principal Employer, Contractor and Contract Labour:

01.	Name of the principal employer in the case of a contractor's establishment.	
02.	Date of commencement of the establishment.	
03.	Number of Contractors engaged in the establishment during the year.	
04.	Total Number of days during the year on which Contract Labour was employed.	
05.	Total number of man-days worked by Contract Labour during the year.	
06.	Name of the Manager or Agent (in case of mines).	
07.	**Address** House No./Flat No ____ Street/Plot No. ____ Town ____ District ____ State ____ Pin Code ____ E-mail ID ____ Telephone Number ____ M. No. ____	

D. Working hours and weekly rest day:

01.	Number of days worked during the year.	
02.	Number of mandays worked during the year.	
03.	Daily hours of work.	
04.	Weekly day of rest.	

E. Maximum number of persons employed in any day during the year:

Sl. No.	Males	Females	Adolescents (between the age of 14 to 18 years.)	Children (below 14 years of age.)	Total

F. Wage rates (Category Wise):

Category	Rates of Wages	No. of workers							
		Regular				Contract			
		male	female	children	Adolescent	male	female	children	Adolescent
Highly Skilled									
Skilled									
Semi-skilled									
Un-skilled									

G. (a) Details of Payments:

Gross wages paid		Deductions			Net wages paid	
In cash	In kind	Fines	Deductions for damage or loss	Others	In cash	In kind

(b) Number of workers who were granted leave with wages during the year:

Sl. No.	During the year	Number of workers	Granted leave with wages

H. Details of various welfare amenities provided under the statutory schemes:

Sl. No.	Nature of various welfare amenities provided	Statutory (specify the statute)

M. The Industrial Disputes Act, 1947 Industrial Disputes (Central) Rules, 1957:

(1).	If the works committee has been functioning.	**Yes/No**
1(a.)	Date of its constitution.	
1(b).	Number of workmen's representatives (elected members).	
1(c).	Number of employer's representatives (nominated members).	
1(d).	Number of meetings held during the year with dates.	
2.	If the works committee had not been functioning, the difficulties encountered in its constitution or functioning.	
3.	Number of Unions in the establishments.	

(a) Number of workers discharged, dismissed, retrenched or whose services were terminated during the year:

No. of workers	Discharged	Dismissed	Retrenched	Terminated or Removed

(b) Man-days lost during the year on account of:

Sl. No.	Reasons	No. of man-days lost	Loss in term of money
(a).	Strike		
(b).	Lockout		
(c).	Fatal accidents		
(d).	Non-fatal accidents or serious accidents in Mines		

DECLARATION

It is to certify that the above information is true and correct and also I certify that I have complied with the all provisions of Labour Laws applicable to my establishment.

PLACE DATE SIGN. HERE

Digital Signature of the Employer, if any

Date___________________

Place___________________

[F.No. S-11012/1/2014-IR (PL]

MANISH GUPTA, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 770, dated the 10th March, 1957 and were lastly amended by G.S.R. 116, dated the 3rd February, 1987.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.